

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान अजमेर

क्रमांक-प.2/आयुष मिशन/जी.टी.एल./2019-20/ 5261

दिनांक: 16.03.2020

ई- बोली विज्ञप्ति वर्ष 2019-20
(विस्तृत बोली विवरण)

(राजकीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर हेतु स्पीट, ए.सी. एवं वाल्टेज स्टेपलाइजर सामग्री क्रय हेतु)

राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से औषध परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर के उपयोगार्थ निम्न लिखित सामग्री की आपूर्ति हेतु अनुभवी/ विख्यात निर्माता/ आपूर्तिकर्ता/ थोक विक्रेता/ प्राधिकृत डीलर / राजकीय एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम, निगम, स्वायत्तशासी संस्था, रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव समितियां, कम्पनियों से निम्न विवरणानुसार आर्टम क्रय करने हेतु सील बंद लिफाफो में बोली आमंत्रित की जाती है :-

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रु. में)	बोली फॉर्म का शुल्क (रु. में)	ई-टेंडरिंग प्रोसेसिंग फीस (रु. में)	फॉर्म प्राप्त करने की दिनांक व समय	फॉर्म जमा कराने की अंतिम दिनांक एवं समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	औषध परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर के लिए स्पलिट, ए.सी. एवं वाल्टेज स्टेपलाइजर क्रय करने हेतु ।	3.50	7000	500	500	16.03.2020 सांय 5.00 बजे से दिनांक 23.03.2020 दोपहर 12.00 बजे तक	23.03.2020 शाम 4.00 बजे तक	24.03.2020 अपरान्ह 1.00 बजे तक

नोट :-

- (1) बोली से सम्बन्धित समस्त विवरण वेबसाईट **sppp portal** पर देखा जा सकता है एवं बोली केवल ऑफलाईन स्वीकार की जावेगी।
- (2) बोली से संबंधित अन्य कोई भी जानकारी यदि वांछित हो तो किसी भी कार्यदिवस को कार्यालय समय में निदेशालय से प्राप्त की जा सकती है।
- (4) क्रय में **RTPP act 2012** एवं **rules 2013** तथा **GF&AR** व राज्य सरकार के आदेश/नोटिफिकेशन लागू होंगे।

ह0

अति.निदेशक(आयुर्वेद)

क्रमांक-प.2/आयुष मिशन/जी.टी.एल./2019-20/

दिनांक:

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. अति. निदेशक, राजकीय आयुर्वेदिक रसायनशाला, राजस्थान, अजमेर ।
2. समस्त अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जयपुर ।
3. समस्त व्यवस्थापक आयुर्वेद रसायनशाला अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, केलवाडा (बारां) ।
4. मैसर्स.....
5. नोटिस बोर्ड निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर/जनसम्पर्क कार्यालय अजमेर
6. केशियर, निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर।

ह0

सदस्य सचिव, एवं लेखाधिकारी
विभागीय भण्डार क्रय समिति
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर

राजस्थान सरकार
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर

निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, राजस्थान-जयपुर के परिपत्र के क्रम में विभागीय बोली के साथ कवरिंग पेज की सूचना

मुख्यालय का नाम	निदेशालय आयुर्वेद विभाग, राजस्थान-अजमेर
बोली का कार्य	राजकीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर के लिए स्पलिट- ए.सी. एवं वोल्टेज स्टेबलाइजर क्रय हेतु
बोली की कुल लागत राशि	रूपये 3.50 लाख
निविदा प्रपत्र (बोली प्रपत्र) का शुल्क	रूपये 500/-
बोली प्रतिभूति राशि	रूपये 7000/-
बोली फार्म प्राप्त करने की दिनांक	16-03-2020 सांय 5.00 बजे से दिनांक 23-03-2020 दोपहर 12.00 बजे तक
बोली फार्म जमा कराने की अंतिम दिनांक	23-03-2020 सांय 4.00 बजे तक
बोली खोलने की दिनांक	24-03-2020 अपरान्ह 1.00 बजे

ह0
अति. निदेशक (आयुर्वेद)
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

तकनीकी बोली घोषणा पत्र

- 1-विषय- बोली विज्ञप्ति वर्ष 2020-21 (स्पलिट-ए.सी. एवं वोल्टेज स्टेबलाइजर क्रय के लिये)
2-बोलीदाता की फर्म का पूरा नाम,पता एवं ई-मेल आई डी.....
..... ।
3- बोली सम्बोधित है :- निदेशक आयुर्वेद विभाग,सावित्री स्कूल चौराहा , अजमेर । टेलिफोन नं0 एवं फेक्स नं0 0145-2425047 / 2425993
4-प्रसंग-विज्ञापन संख्या ----- दिनांक -----
5- बोली शुल्क राशि डी.डी./बैंकर्स चेक नम्बरदिनांक..... एवं बोली प्रतिभूति राशि..... डी.डी./बैंकर्स चेक नम्बरदिनांक.....का संलग्न है ।
6-मै/हम प्रासंगिक बोली विज्ञप्ति जो निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर द्वारा प्रसारित किया गया है, के सम्बन्ध मे बोली की समस्त सूचनाओं के तथ्य समस्त नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ । जिसके प्रमाण स्वरूप बोली के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर दिये गये है ।

7-(1) फर्म की चल/अचल सम्पत्ति तथा भागीदारों आदि का पूर्ण विवरण:-

1. फर्म कभी भी केन्द्रीय/राज्य सरकार/अन्य स्थान द्वारा काली सूची मे नही रखी गई है। यदि हो तो पूर्ण विवरण अंकित करे ।

2. फर्म की निम्न चल सम्पत्ति है,

क्र.सं.	बैंक खाते का विवरण	बैंक का नाम	IFSC	खाते मे जमा राशि
	व खाता संख्या	व शाखा स्थान	Code	

.....
क.

ख.

ग.

(II) अन्य चल सम्पत्ति

(3) फर्म की निम्न अचल सम्पत्ति है :-

क्र.सं.	सम्पत्ति का पूर्ण विवरण	सम्पत्ति कहाँ स्थित है	सम्पति का अनुमानित बाजार मूल्य
---------	-------------------------	------------------------	--------------------------------

.....
क

ख

ग

(4) फर्म के निम्न भागीदार है :-

क्र.सं.	नाम	विवरण	पता	फोन नम्बर
---------	-----	-------	-----	-----------

(5) फर्म प्राइवेट/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड है ।

(6) फर्म के मालिक/निदेशक/सचिव/प्रबन्धक आदि का विवरण:-

क्र.सं	नाम व पद	पता	फोन नम्बर	ई-मेल आई डी
--------	----------	-----	-----------	-------------

8- इसके साथ जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

9-मैं/हम घोषणा करते है कि मैने/हमने जिन वस्तुओं/भण्डार/ हेतु बोली दी है उनके मान्य निर्माता/थोक विक्रेता/एकल वितरक/अधिकृत विक्रेता/विक्रेता/एकल विक्रेता/मार्केटिंग प्रतिनिधि है ।

अगर यह घोषणा असत्य पायी जाती है तो बिना किसी न्यायिक कार्यवाही एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी पूर्ण बोली/ सुरक्षा राशि जब्त की जावे एवं बोली जो स्वीकृत की गई रदद की जावे । इसका घोषणा पत्र संलग्न है।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय सील

राजस्थान सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

बोली विज्ञप्ति वर्ष 2019-20 सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचनायें/नियम (बोलीदाता हेतु निर्देश)

(स्पलिट, ए.सी. एवं वोल्टेज स्टेबलाइजर कय किये जाने हेतु)

1. बोलियाँ प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक 23-03-2020 को सांय 4.00 बजे तक होगी।
2. बोली के 2 लिफाफे (1) तकनीकी बिड (परिशिष्ट-1) एवं (2) वित्तीय बिड के होंगे। जिन पर कमशः स्पलिट-ए.सी. एवं वोल्टेज स्टेबलाइजर हेतु तकनीकी बोली व दूसरे पर वित्तीय बोली स्पष्ट अंकन होगा।
3. तकनीकी बिड दिनांक 24-03-2020 को अपराह्न 1.00 बजे कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर में खोली जावेगी। यदि किसी कारण से समस्त बोलियाँ नहीं खोली जा सकी, तो आगामी कार्य दिवस में बोलियाँ खोली जाने का कार्य जारी रहेगा।
4. तकनीकी बिड (प्रथम लिफाफे) में निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेजों की अनिवार्यतः पूर्ति करें एवं सम्बन्धित दस्तावेज लिफाफे में सील कर भौतिक रूप से प्रस्तुत करें।
 - (1) बोली घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं साथ ही Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013 के अनुसार वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 के अनुसार Annexures 'ABCD' में भी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 - (2). (अ) बोली शुल्क, (ब) बयाना राशि (बोली प्रतिभूति @ 2 प्रतिशत) का मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक (स) 100रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र संलग्नक "अ" के अनुसार कार्यालय निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर को भौतिक रूप से दिनांक 23-03-2020 सांय 4.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिये। यदि डाक देरी से प्राप्त होती है, तो इसके लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।
 - (3) राजस्थान में पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग एवं मध्यम उद्योग इकाईयों को सक्षम स्तर से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। तत्पश्चात ही उन्हें एम.एस.एम.बी. हेतु आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियम 33 के अर्न्तगत वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के लाभ देय होंगे। निर्माण क्षमता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी तथा उक्त अधिसूचना की पालना करनी होगी।
 - (4) दिनांक 01.07.2017 से लागू जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।
 - (5) बोली में बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये गये हैं, तो हस्ताक्षरकर्ता के पक्ष में विधिक पावर आफ एटोर्नी की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
 - (6) पेन कार्ड की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
 - (7) "बोली प्रपत्र, नियम एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ को पूर्ण रूप से पढ लिया है एवं समझ लिया है एवं स्वीकार करने की सहमति देता हूँ;" इस आशय का घोषणा पत्र बोलीदाता का हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना होगा।
 - (8) आपूर्ति की जाने वाली सामग्री के लिए यदि किसी प्रकार के लाइसेन्स या विधिक स्वीकृति की आवश्यकता हो, तो बोलीदाता को उक्त लाइसेन्स या स्वीकृति अपने स्तर से प्राप्त की जाकर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी।
 - (9) संबंधित उत्पाद के अधिकृत विक्रेता/डीलर/आपूर्तिकर्ता होने का सक्षम अधिकारिता द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

- (10) बोलियाँ सामग्री के वास्तविक डीलर द्वारा ही दी जायेगी। इस आशय का घोषणा पत्र एस.आर. 11 में हस्ताक्षर कर प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी। उक्त सामग्री के विनिर्माता/अधिकृत विक्रेता/डीलर होने बाबत जारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावे।
- (11) बोलीदाता न्यूनतम विगत दो वर्षों से दी गई बोली से संबंधित सामग्री/वस्तु का व्यापार करता हो इस आशय का स्वघोषित प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा
- (12) उक्त आइटमों को अन्य उपक्रम/विभाग में आपूर्ति किये जाने का अनुभव का विवरण संलग्न करना होगा।

5. **वित्तीय बिड:-** वित्तीय बिड (बोली दर) के द्वितीय लिफाफे में बोली दरें, निर्धारित प्रारूप में उसके समक्ष एक मुश्त दर अंकित की जावेगी। उपरोक्तानुसार टैक्नीकल एवं वित्तीय बिड के अलग-अलग लिफाफे हैं, जिन पर स्पष्ट रूप से फर्म का नाम व पता, दूरभाष नम्बर एवं ई-मेल आई डी. जिस भाग के लिए बोली दी गई है, उसका नाम अंकित करें।

6. उक्त वर्णित विधि एवं शर्तों की पालना के अभाव में बोली को स्वीकार करने या न करने का अधिकार विभाग को होगा।

7. बोलीदाता बोली में अंकित सामग्री की उल्लेखित मात्रा के अनुसार सम्पूर्ण आपूर्ति करने हेतु बाध्य रहेगा।

8. (I) आपूर्तिकर्ता द्वारा निर्धारित अवधि में आपूर्ति की गई सामग्री स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं पाई जाती है, तो अस्वीकृत सामग्री को लिखित में सूचित करने की दिनांक (पत्र जारी दिनांक) से दस दिवस में आपूर्तिकर्ता फर्म के द्वारा बदल कर देना होगा।

(II) यदि फिर भी स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह मानते हुए की पूर्ण आपूर्ति करने में आपूर्तिकर्ता असफल रहा है और पूर्ण आपूर्ति अस्वीकार मानी जावेगी एवं बोली के नियम शर्तों तथा RTPP नियम 2013 व GF&AR के अनुसार पूरे सामान राशि के मूल्य के परिनिर्धारित क्षतिपूर्ति (Liquidated damages) आरोपित की जाकर नियमानुसार वसूली की जावेगी।

9. अस्वीकृत होने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई समस्त सामग्री को स्वयं के हर्जे खर्चे पर हटानी होगी।

10. वित्तीय बिड केवल वित्तीय बिड प्रपत्र में अंको व शब्दों में ही भरें तथा सामग्री की कीमत व जी.एस.टी. पृथक-पृथक दर्शावें, तथा कटिंग/ ओवर कटिंग पर लघुहस्ताक्षर करें।
वित्तीय बिड के साथ सामग्री की निर्माता कम्पनी की मूल्य सूची भी प्रस्तुत करे। बोलीदाता को बोली दर (वित्तीय बिड) भरने से पूर्व यह पूर्ण रूप से सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस सामग्री के लिए वह दरें देना चाहता है, उस सामग्री को फर्म आपूर्ति करने में सक्षम है।

11. वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश, राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान पूर्णतः लागू होंगे।

12. बोलीदाता द्वारा कोई भी मिथ्या जानकारी दी जाने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

13. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑफलाईन होगी। ई-मेल से दी गई / प्राप्त की गई सूचना भी मान्य होगी।

14. वित्तीय बोली खोले जाने की सूचना तकनीकी बोली में सफल बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से दी जावेगी।

15. दरें बोली खोले जाने की दिनांक से 90 दिवस तक मान्य होंगी।

16 . बोली हेतु बोलीदाता हेतु निर्देश एवं नियम :-

- (i) तकनीकी बिड(लिफाफा-I) व वित्तीय बिड(लिफाफा-II) दोनों को पृथक पृथक सील कर लिफाफों पर तकनीकी/वित्तीय बिड पृथक से अंकित कर दोनों एक ही लिफाफे में सीलकर प्रस्तुत किया जावे ।
- (ii) बोलियाँ निर्धारित दिनांक एवं समय पर खोली जावेंगी ।
- (iii) बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व, बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि बोली प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित कॉपीज बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गई है । बोली निर्धारित अवधि तक जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब हो जाता है, तो इसके लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा ।
- (iv) बोली प्रपत्रों के अनुसार चाहे गये आवश्यक दस्तावेज एवं सूचियों को चाहे अनुसार पूर्ति कर प्रस्तुत करेंगे ।
- (v) समस्त आवेदन निर्धारित प्रपत्र में स्याही से ही भरें अथवा टाइप करें ।
- (vi) विज्ञप्तिनुसार बोली फॉर्म शुल्क राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) का डी.डी. अलग-अलग बनाया जावे, तथा निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के नाम से अजमेर में भुगतान योग्य होना चाहिए ।
- (vii) तकनीकी बिड (लिफाफा-I) में दोनों राशि के मूल डी.डी तथा मूल शपथ पत्र 100रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर (नोटरी द्वारा प्रमाणित) निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर को भौतिक रूप से दिनांक 23-03-2020 को सांय 4.00 बजे तक कार्यालय में जमा होना आवश्यक है ।
- (viii) बोली एवं बोली के किसी भाग को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग/सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित/आरक्षित होगा ।
- (ix) बोली प्रपत्र में अंकित मात्रा विभागीय आवश्यकतानुसार किसी भी सीमा तक बढ़ाई अथवा घटाई जा सकती है ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय सील

अति. निदेशक (आयुर्वेद)
निदेशालय आयुर्वेद विभाग
अजमेर ।

पूरा नाम पता :-

अधिकृत प्रतिनिधी/स्वयं प्रोप्राईटर (जो लागू नहीं हो काट दे)

बोली की शर्तें एवं नियम

(1) बोली फार्म की जानकारी

बोली फार्म स्पलिट, ए.सी. एवं वोल्टेज स्टेबलाइजर क्रय किये जाने के संबंध में ।

(2) क्रय की जाने वाली वस्तु का विवरण

क्रय की जाने वाली वस्तुओं के तकनीकी विवरण परिशिष्ट—I संबंधित बोली फार्म में संलग्न दर्शाये गये हैं। बोलीदाता बोली में दिये गये स्पेसिफिकेशन अनुसार सामग्री की ही अपनी दरे अंकित करेंगे। बोली फार्म में दर्शायी गई वस्तु के विवरण में बोलीदाता किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। परिवर्तन करने पर उस वस्तु के लिए दी गई दर पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपनी ओर से परिवर्तित विशिष्टियों की दरें अंकित नहीं करेगा। अतः बोली प्रपत्र में दर्शाये विवरण को ही आधार मानकर बोलीदाता को हर वस्तु की एक ही दर अंकित करनी चाहिये।

(3) बोली प्रस्तुत करना :-

बोलियाँ बोली विज्ञप्ति के अनुसार एवं संशोधित विज्ञप्ति में दर्शाये अनुसार प्रस्तुत की जावेगी। तकनीकी बिड विज्ञप्ति में अंकित दिनांक एवं समय पर कार्यालय निदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर में उपस्थित बोलीदाता (यदि कोई उपस्थित हो) के समक्ष खोली जावेगी। बोली सम्बन्धी सभी सूचनाएँ ई-मेल से भी दी जावेगी। दूरभाष सं० 0145-2425047 0145-2425993 । विभाग द्वारा बोली संबंधी सूचना डाक के माध्यम से भेजी जायेगी, डाक विलम्ब से पहुँचने की स्थिति में ई-मेल के माध्यम से भेजी गई सूचना मान्य होगी, तदनुसार पालना करनी होगी।

(4) बोली स्वीकार करना:-

केवल उन्हीं बोलियों पर विचार किया जावेगा जो बोली सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार उचित रूप से प्रस्तुत की गई होगी। बोली प्रपत्र शुल्क राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि (Bid Security) का डी.डी. निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम से दिनांक 23-03-2020 सांय 4.00 बजे तक तकनीकी लिफाफे में निदेशालय आयुर्वेद विभाग अजमेर में जमा कराना होगा। इसके अभाव में वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी।

(5) क्रय हेतु सक्षम अधिकारी:-

क्रय समिति द्वारा स्वीकृत दरो पर बोली फार्म में अंकित वस्तुओं के लिये क्रय आदेश जारी करने हेतु अति. निदेशक (आयुर्वेद) आयुर्वेद विभाग, अजमेर प्राधिकृत होंगे।

(6) वित्तीय दरें एवं सामग्री की प्रदायगी :-

बोली में अंकित सामग्री की सप्लाई दिये गये आदेशानुसार औषध परीक्षण प्रयोगशाला (रसायनशाला परिसर) पुष्कर रोड, रामनगर, अजमेर कार्यालय में करनी होगी ।

(1) दरे सभी प्रकार के खर्चों (जैसे भाडा, पैकिंग, मजदूरी, चुंगी एवं अन्य कर आदि) सहित अंकित की जानी चाहियें। दरों में जीएसटी की राशि सम्मिलित नहीं की जावे। सभी प्रकार के जीएसटी(CGST/RGST/IGST) का पृथक से अंकन किया जावे ।

(2) माल पहुँचाने का एवं उतरवाने व तुलवाने का उत्तरदायित्व बोलीदाता का होगा।

(3) बोलीदाता आवश्यक रूप से मूल दर व उस पर कर का पृथक पृथक कॉलम में अंकन करेगा । यदि बोलीदाता वित्तीय बिड में किसी प्रकार का कर जीएसटी का निर्धारित कॉलम में अंकन नहीं करता है तो दरें कर सहित मानी जावेगी । जीएसटी अंकित नहीं करने के पक्ष में उचित परिपत्र/आदेश तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें । वित्तीय दर बिड में जीएसटी राशि निर्धारित कॉलम में अलग से अंकित करने पर सरकार की तत्समय लागू जीएसटी दर से नियमानुसार जीएसटी राशि देय होगी ।

(4) वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन RTPP Ruls 65 व 66 के प्रावधान के अनुसार होगा ।

(5) केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जीएसटी प्रावधानों एवं कर की दरों में समय समय पर किये जाने वाले परिवर्तन/संशोधन मान्य होंगे, इसके लिये इस कार्यालय द्वारा पृथक से कोई संशोधन पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

(7) **बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरों की वैधता:-**

बोलीदाता द्वारा बोली में दी गई दरें , वित्तीय बोली खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक निर्णय हेतु वैध होगी एवं बोलीदाता बोली में दी गई दरों पर अनुबंध करने को बाध्य होगा। अन्यथा बोली शर्त संख्या 19 के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। अनुबंध हो जाने के पश्चात स्वीकृत दरों की वैधता शर्त संख्या 8 से नियंत्रित होगी।

(8) **संविदा की अवधि :-**

अनुमोदित/स्वीकृत दरों की वैधता अवधि अनुबंध की दिनांक से एक वर्ष तक होगी।

(9) **बोली के साथ बोली विज्ञप्ति के अनुसार तैयार डी.डी./बैंकर्स चैक/ 100रु का शपथ पत्र संलग्न करना :-**

(अ) बोली विज्ञप्ति अनुसार बोली के प्रत्येक भाग की बोली शुल्क राशि/बोली प्रतिभूति राशि पृथक-पृथक निम्नांकित किसी एक प्रारूप में बोली भरते वक्त संलग्न करना अनिवार्य है। इनके अभाव में प्राप्त बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। बोली शुल्क राशि/बोली प्रतिभूति राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चैक जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर के नाम से ही स्वीकार्य है एवं 100रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र बोली भरते वक्त संलग्न करना अनिवार्य है।

नोट:-

1. विभाग में किसी बोलीदाता की पूर्व में जमा बोली प्रतिभूति राशि/कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस बोली की बोली प्रतिभूति राशि हेतु समायोजित नहीं किया जावेगा।

2. जो फर्म, निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में परिशिष्ट - 1 में उल्लेखित सामग्री के लिए लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, उस को बोली प्रतिभूति राशि प्रभावी दरों से जमा करानी होगी। लेकिन उन्हें अपने स्थाई पंजीकरण की एवं क्षमता प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति बोली के साथ प्रेषित करना अनिवार्य है।

3. राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के उपक्रम को बयाना राशि जमा कराने से छूट है, किन्तु उन्हें आर.टी.पी.पी. नियम 42 (3) के अनुसार बिड सिक्यूरिटी डिक्लेरेशन देना होगा।

(ब) **बोली प्रतिभूति राशि का समपहरण:-** बोली प्रतिभूति राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत (जब्त) कर लिया जायेगा:-

(i) जब बोलीदाता बोली खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण (Modification) करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

(iii) जब बोलीदाता , प्रदायगी के लिए आदेश दिये जाने के बाद, कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता हो।

(iv) जब वह विहित समय के भीतर, सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

(v) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबन्ध को भंग करता है।

(10) **निर्धारित विवरण के अनुसार ही माल सप्लाई करना:-**

समस्त वस्तुएँ बोली में दर्शाए गये नाम विवरण के अनुसार ही बोलीदाता को बोली में अंकित स्थान पर सप्लाई करनी होगी।

(11) **स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान:-**

स्वीकृत वस्तुओं के मूल्य का भुगतान हेतु बिल निदेशक आयुर्वेद विभाग, अजमेर के नाम बनाया जाकर बिल की दो प्रतियाँ माल की आपूर्ति के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान डी.डी. या बैंकर्स चैक के माध्यम से कर दिया जायेगा। डी.डी. व बैंकर्स चैक का चार्ज बोलीदाता को वहन करना पड़ेगा।

(12) बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य एजेन्सी को देना:-

बोलीदाता ठेका किसी अन्य एजेन्सी को नहीं देगा व न ही इससे सप्लाइ करवाएगा।

(13) समानान्तर ठेका:-

विभाग को समानान्तर ठेका तय करने का अधिकार सुरक्षित है

(14) क्रय की मात्रा:-

क्रय की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा जो बोली में दर्शाई गई है वे केवल अनुमानित है। न्यूनतम क्रय की कोई सीमा नहीं होगी। क्रयदेश विभाग की आवश्यकतानुसार दिये जायेंगे। क्रय समिति की सिफारिश पर बोली में अंकित मात्रा से 50 प्रतिशत अधिक की मात्रा तक के लिए क्रय आदेश दिये जा सकेंगे।

(15) सामान सप्लाइ की अवधि:-

(i) बोलीदाता को क्रयदेश निर्गमन दिनांक से 10 दिन की अवधि में सामग्री की आपूर्ति करनी होगी। 10वें दिन राजकीय अवकाश होने पर आगामी कार्य दिवस के दोपहर 2 बजे तक आपूर्ति स्वीकार्य हो सकेगी।

यदि निर्धारित समय में बोलीदाता सामग्री सप्लाइ करने में असमर्थ रहता है एवं परिनिर्धारित क्षति के साथ सुपर्दगी अवधि में वृद्धि के मामले में निम्नांकित दर से जितनी अवधि का विलम्ब हुआ है माल की कीमत के आधार पर परिनिर्धारित क्षति के रूप में राशि वसूल की जावेगी।

(क)	माल सप्लाइ करने की निर्धारित अवधि से 1/4 भाग की देरी पर	2.5 प्रतिशत
(ख)	माल सप्लाइ करने की निर्धारित अवधि से 1/4 से अधिक लेकिन 1/2 भाग की अवधि तक देरी पर	5 प्रतिशत
(ग)	माल सप्लाइ करने की निर्धारित अवधि से 1/2 भाग से अधिक लेकिन 3/4 भाग की अवधि तक की देरी पर	7.5 प्रतिशत
(घ)	माल सप्लाइ करने की निर्धारित अवधि से 3/4 भाग से अधिक लेकिन कुल अवधि के बराबर की अवधि तक की देरी पर	10 प्रतिशत

(ii) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में विभाग की राय से उचित कारणों पर अधिकतम 10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति के रूप में वसूल कर सामग्री स्वीकार्य की जा सकेगी।

(16) आदेशित आपूर्ति के अभाव में बोलीदाता की जोखिम एवं लागत पर क्रय करना :-

- बोलीदाता क्रयदेश की आपूर्ति स्पेसिफिकेशन के अनुसार निर्धारित अवधि में या शर्त संख्या 15 के अध्याधीन बढी हुई अवधि में आपूर्ति करने में असफल रहता है तो ऐसी असफल आपूर्ति के लिए आदेशित अधिकारी को यह मानने का पर्याप्त कारण होगा कि सुरक्षा राशि जब्त करने/10 प्रतिशत परिनिर्धारित क्षति पूर्ति आरोपित के आदेश दे सकेगा।
- आपात स्थिति में अपवाद स्वरूप विभाग/केता अधिकारी के पास यह विकल्प सुरक्षित है कि वह अपूर्ण आपूर्ति की गई सामग्री को बोलीदाता की जोखिम व लागत पर क्रय समिति के माध्यम से क्रय कर सकेंगे। जो बोलीदाता को मान्य होगी। इस बिन्दु पर किसी प्रकार का विवाद स्वीकार नहीं होगा।

(16)(अ) आपूर्तिकर्ता विवर्जित (Debar) करना/काली सूची में दर्ज करना :-

निर्धारित समयावधि में विशेष परिस्थितियों में आपूर्ति की समयवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात भी यदि कोई बोलीदाता द्वारा आदेशित सामग्री की आपूर्ति नहीं की जाती है, तो दोषी फर्म को नियमानुसार काली सूची में दर्ज करने / आगामी बोलियों में भाग लेने हेतु अधिकतम 3 वर्ष हेतु विवर्जित किया जा सकेगा। इसमें में किसी प्रकार का विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।

(17) प्राईस फाल क्लोज:-

यदि बोली अवधि में बोलीदाता अनुमोदित दरों को कम करता है अथवा उसी प्रकार का माल को कम दर पर अन्य किसी को बेचता है तो उसे सदस्य सचिव, क्रय समिति, आयुर्वेद विभाग अजमेर को इस प्रकार की दरों में कमी एवं कम दरों पर बेचे गये माल की सूचना देनी होगी तथा जिस दिनांक से दरों में कमी की गई है, उसी दिनांक से आयुर्वेद विभाग को दिये गये सामान की कीमत भी कम दर से लगानी होगी।

बोली अवधि में या उसके बाद भी यह तथ्य प्रकाश में आने पर बोलीदाता द्वारा प्राईस फाल क्लोज शर्तों की पालना नहीं की गई है तो फर्म द्वारा विभाग से प्राप्त अधिक राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(18) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराना तथा अनुबंध पत्र भरकर प्रस्तुत करना:-

(अ) भण्डार क्रय समिति द्वारा स्वीकृत की गई वस्तुओं की सूचना जारी करने पर बोलीदाता को पत्र जारी होने के 7 दिन के अन्दर आदेशित मूल्य के लिए नियमानुसार अपेक्षित राशि 500 रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प (राजस्थान से क्रय) पर प्रपत्र एस.आर. 17 में अनुबंध कर निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, आदेशित मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर निम्न में वर्णित किसी भी एक प्रारूप में 7 दिवस में निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर को जमा करानी होगी :-

1. डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो निदेशक, आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम हो।
2. एन.एस.सी.(फर्म के नाम से क्रय की गई हो) जो निदेशक आयुर्वेद विभाग अजमेर के नाम प्लेज्ड हो।

नोट:-

1. पूर्व वर्षों की जमा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि /बोली प्रतिभूति राशि अथवा अन्य बकाया राशि का समायोजन इस हेतु नहीं किया जावेगा।
2. वर्तमान बोली की बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि में बोलीदाता के पक्ष में अनुमोदित समस्त आईटमों का अनुबंध उनके द्वारा कर दिये जाने पर तथा बोली की सभी आईटमों का निर्णय हो जाने पर किया जा सकेगा।
3. जो फर्म निदेशक उद्योग विभाग राजस्थान द्वारा बोली में दर्शाई गई जिन किसी वस्तुओं के लिये लघु उद्योग इकाई के रूप में पंजीकृत है, उन्हें उन वस्तुओं के लिये उस समय प्रभावी दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।
4. राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों को सुरक्षा राशि जमा कराने की छूट प्राप्त है। किन्तु उन्हें परफॉरमेन्स सिक्यूरिटी डिक्लेरेशन देना होगा।

(ब) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण:- कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा:-

- (क) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।
- (ख) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सप्लाइ संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।
- (ग) कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(स) बोलीदाता करार का निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा:-

- (i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति।
- (ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं वर्ष सहित पंजीयन की अभिप्रमाणित प्रति।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

(19) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा न कराने एवं अनुबन्ध पत्र भरकर न देने पर बोली प्रतिभूति राशि जब्त करना:-

यदि कोई सफल बोलीदाता नियम 18 में दर्शाई गई अवधि 7 दिवस में अथवा वृद्धि की गई अवधि में निर्धारित कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है, एवं समस्त अनुमोदित वस्तु की आपूर्ति हेतु अनुबन्ध पत्र भरकर नहीं देता है, तो बोलीदाता की जमा बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी। इस हेतु किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना बोली दाता को नहीं दी जावेगी।

(20) अस्वीकृत वस्तुएँ:-

बोलीदाता द्वारा सप्लाई की गई वस्तुएँ अस्वीकृत होने पर अस्वीकृती की सूचना निर्गमित होने की दिनांक से 07 दिन के अन्दर अस्वीकृत वस्तु की बोली दाता को स्वयं अपने खर्च से उठा लेना होगा। निर्धारित अवधि के बाद अस्वीकृत माल को न उठाने पर उन वस्तुओं के मूल्य का एक प्रतिशत प्रति सप्ताह किराया बोलीदाताओं से वसूल किया जावेगा। जो अस्वीकृत वस्तुओं के मूल्य से अधिक नहीं होगा। वस्तु के खराब होने, टूटने फूटने आदि की जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी। बोलीदाता द्वारा अस्वीकृत माल की सूचना निर्गमन दिनांक से 6 माह की अवधि में माल नहीं उठाने पर संबंधित अधिकारी द्वारा अस्वीकृत माल नीलाम/नष्ट जैसी परिस्थितियों हो कर दिया जावेगा एवं उससे प्राप्त हुई राशि राज्य कोष में जमा करा दी जावेगी।

बोलीदाता क्रय समिति के निर्णय के विरुद्ध अपील 10 दिन की अवधि में उच्चतर क्रय समिति के समक्ष कर सकेगा। 10 दिवस के पश्चात अपील का अधिकार नहीं होगा। क्रय समिति पुनर्निरीक्षण की अपील को स्वीकार किये जाने की स्थिति में स्टोरेज चार्ज की अवधि की गणना निर्णयोपरान्त फर्म को दी जाने वाली सूचना की तिथि से की जावेगी। फर्म द्वारा की गई पुनर्निरीक्षण की अपील को क्रय समिति द्वारा खारिज किये जाने पर फर्म को इस सम्बन्ध में दी गई सूचना की तिथि से स्टोरेज चार्ज/पेनल्टी की गणना की जावेगी। अपील पर क्रय समिति का निर्णय बोलीदाता को मान्य होगा। क्रय समिति में अपील करने हेतु बोलीदाता द्वारा विवादित मूल्य की 1 प्रतिशत राशि फीस के रूप में जमा करवानी होगी। उक्त फीस किसी भी स्थिति में लौटाई नहीं जावेगी।

(21) बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि बोलीदाता को लौटाना:-

1. जिस बोलीदाता की बोली निरस्त कर दी गई है अथवा जिसके पक्ष में किसी भी आइटम की दर स्वीकृत नहीं की गई है तो ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि बोली पर अंतिम निर्णय एवं सफल बोलीदाता से अनुबन्ध होने पर, यदि संबंधित बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया न हो तो, लौटाई जा सकेगी।
2. यदि किसी बोलीदाता के विरुद्ध किसी प्रकार की राशि बकाया नहीं हो, तो उसकी कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि को आदेशित आपूर्ति का सफलतापूर्वक पूरा करने की दिनांक से 3 माह बाद लौटाई जा सकेगी। बोलीदाता के विरुद्ध कोई राशि बकाया निकली तो बोलीदाता की सुरक्षा राशि में से ऐसी वसूली करते हुये शेष रही सुरक्षा राशि लौटा दी जावेगी।
3. समस्त स्वीकृत आइटमों का बोलीदाता द्वारा (बोली शर्त सं0 18 के अनुसार) निर्धारित अवधि में अनुबन्ध पत्र भरने एवं सुरक्षा राशि जमा कराने पर ऐसे बोलीदाता की बोली प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी, यदि बोलीदाता के विरुद्ध कोई बकाया राशि नहीं निकलती है तो लौटा दी जायेगी।

(22) सामान के साथ प्राप्त पैकिंग सामग्री को नहीं लौटाना:-

बोलीदाता द्वारा सप्लाई किये गये माल के साथ जो भी पैकिंग सामग्री जैसे खोखे, बोरियों, डिब्बें पत्तियाँ आदि होगा वह निःशुल्क होगा तथा बोलीदाता को लौटाया नहीं जावेगा। बोलीदाता सप्लाई करने वाले माल को ठीक ढंग से पैकिंग के लिए उत्तरदायी होंगे। रास्ते में किसी प्रकार की क्षति व हानि के लिए विभाग की जिम्मेदारी नहीं होगी।

(23) राज्याधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना:-

बोली स्वीकृति हेतु अथवा बोली संबंधी किसी कार्य हेतु प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार विभाग के किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को प्रलोभन देना या उनके पास सिफारिश पहुँचाना, गम्भीर अपराध समझा जावेगा तथा ऐसे बोलीदाता की बोली स्वीकार्य नहीं की जावेगी। और यदि स्वीकार हो जाती है तो किसी भी समय रद्द की जा सकती है।

(24) सुरक्षित अधिकार:-

क्रय समिति, आयुर्वेद विभाग को अधिकार होगा कि वे बिना कोई कारण बताये किसी भी वस्तु की दरें, सबसे कम दर स्वीकार न करके उँची दरे स्वीकृत कर ले अथवा कोई भी दर स्वीकार न करें।

(25) कानूनी विवाद क्षेत्र:-

बोलीदाता द्वारा उपापनकर्ता अधिकृति के निर्णय से असहमत होने पर RTPP Act की धारा 38 से 40 तथा RTPP नियम 83 से 85 में प्रदत्त प्रावधान अनुसार प्रथम स्तर व द्वितीय स्तर पर अपील के निर्णय के पश्चात विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या संवेदक) द्वारा केवल अजमेर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

(26) वास्तविक व्यापारी द्वारा बोली भरी जाना/बिल प्रस्तुतीकरण:-

बोली स्वीकार होने के पश्चात् जिस भी अधिकृति से बोली प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है उसी अधिकृति से बिल आदि भुगतान हेतु विभाग के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। उक्त के अतिरिक्त किसी अन्य अधिकृति के द्वारा प्रस्तुत बिलों को भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जावेगा एवं इस सम्बन्ध में विभाग किसी प्रकार के दायित्वाधीन नहीं होगा।

(27) (i) फर्म आदि के गठन में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अविलम्ब बोलीदाता द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जायेगा।

(ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति (डिस्चार्ज) होगी।

(28) जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

(29) (i) समस्त माल रेलवे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिए भाड़ा चुका कर भेजा जायेगा। यदि सामान भेज दिया जाता है तथा उसका भाड़ा चुकाना हो, तो प्रदायकर्ता (सप्लायर) के बिल में से उस भाड़े के 5 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त विभागीय प्रभारों की भी वसूली की जायेगी।

(ii) आर.आर.(R.R.) केवल बैंक के माध्यम से रजिस्टर्ड लिफाफे में भेजी जानी चाहिए।

(iii) भुगतान करने पर किए गये प्रेषण प्रभार (Remittance charges) बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा।

(30). बीमा:-

(i) सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा में सुपुर्द किए जायेंगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे -युद्ध, विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा यदि ऐसे व्यय किये जाते हैं तो राज्य से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(31) वसूलियां:- परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप में से की जायेंगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा

तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नहीं बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (लिक्वीडेटेड डेमेजेज) के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं विभाग के पास उपलब्ध कार्य सम्पादन प्रतिभूति निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव न हो तो राजस्थान पी डी आर एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(32) अन्तिम अर्थ एवं निर्णय का अधिकार:-

1. बोली के नियम व शर्तों तथा बोली प्रपत्रों में दिये गये विवरण आदि के संबंध में भण्डार क्रय समिति द्वारा दिया गया अर्थ एवं निर्णय अन्तिम समझा जावेगा एवं उसे बोलीदाता मानने को बाध्य होगा।
2. भण्डार क्रय समिति को किसी भी बोलीदाता की बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकार करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण व निर्बाध अधिकार होगा।

(33) निजी शर्तें लगाकर बोली प्रस्तुत करना:-

बोली शर्तों के विपरीत बोलीदाता की कोई निजी शर्त मान्य नहीं होगी। यदि किसी बोलीदाता ने कोई निजी शर्त लगा कर बोली दी हो, तो वह शर्त तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक भण्डार क्रय समिति द्वारा उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता।

(34) निरीक्षण अधिकारी:-

बोलीदाता की फर्म या कम्पनी की निर्माणशाला/दुकान/गोदाम का निरीक्षण करने का अधिकार निदेशक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को होगा।

(35) बोली शर्तों में शिथिलता करने का अधिकार:-

बोली शर्तों में शिथिलता करने हेतु केवल केन्द्रीय भण्डार क्रय समिति में शक्तियां निहित हैं।

(36) मूल्य अधिमान:- मूल्य अधिमानता/ क्रय अधिमानता राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर या राजस्थान के बाहर उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों की तुलना में भण्डार क्रय(राजस्थान के उद्योगों के अधिमानता) नियम, 1995 के अनुसार दी जायेगी। एम. एस.एम.ई. के लिए वित्त विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 अनुसार एम.एस.एम.ई. यूनिट को अधिसूचना में अंकित निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही क्रय अधिमान /मूल्य अधिमान का लाभ देय होगा। क्रय अधिमान /मूल्य अधिमान के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय - समय पर जारी प्रावधान /नियम प्रभावी होंगे।

(37) तकनीकी बिड बोली का भाग होगा। तकनीकी बिड में वांछित दस्तावेज उसी क्रम में संलग्न करें, जिस क्रम में बिड में अंकित है। संलग्नक पर वही क्रम संख्या भी अंकित करें।

(38) यदि कोई परिवर्तन होता है तो, परिवर्तन की अलग से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी। परिवर्तन संबंधी सूचना SPMP पोर्टल पर संलग्न अपलोड कर दी जावेगी।

(39) बोली से सम्बन्धित नियम, शर्तें एवं सूचना बोली का भाग है।

(40) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 (Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules 2013) के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04.02.13 के अनुसार Annexures A, B, C, D भी बोली एवं अनुबंध का भाग है, जो संलग्न करना अनिवार्य है।

(41) उपरोक्त शर्तों के अलावा अन्य शर्तें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसार होगी।

(42) उक्त बोली शर्तों में किसी भी प्रकार लिपीकीय त्रुटि होने पर विभागीय क्रय समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

(43) विभागीय क्रय समिति L-1 के अतिरिक्त बोलीदाता की दरें स्वीकृत करने के लिए भी अधिकृत होंगी।

(44) इंस्टॉल किये जाने वाले मशीनरी , उपकरण आदि को संतोषजनक ढंग से इंस्टॉल कर के देना होगा

- तथा वारन्टी/गारन्टी क्लॉज नियमानुसार लागू होगा।
- (45) आर.टी.पी.पी. नियम 2013 के नियमानुसार संवेदक को विभाग के किसी निर्णय पर आपत्ति की स्थिति में प्रथम अपीलीय अधिकारी उप शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग तथा द्वितीय अपीलीय अधिकारी शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग होंगे।
- (46) उपापन की सामग्री/उपकरण आदि से संबंधित लिटरेचर/ब्रोच्यूर/टेक्नीकल डाटा (यदि कोई हो) तो वह संलग्न किया जावें।
- (47) बोली अनुमोदन की दिनांक को कंपनी की अनुमोदित/प्रकाशित/जारी की गई मूल्य सूची (Price list) में छूट की दर (Rate of discount) भी मान्य होगी। ऐसी स्थिति में अनुमोदन की दिनांक से संविदा की अवधि में कम्पनी की मूल्य सूची Freeze होगी।

अति. निदेशक (आयुर्वेद)
निदेशालय आयुर्वेद विभाग, अजमेर

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों/नियमों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है तथा इनकी पालना करने को सहमत हूँ/हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय सील एवं दिनांक

बोलीदाताओं द्वारा घोषणा
(देखिए नियम 48—VII)

मैं/हम/घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/ स्टोर्स/ उपकरणों के लिए बोली दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/ प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल सैलिंग/विपणन एजेंट हूँ/हैं ।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाय तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है,पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहत कर लिया जाएगा तथा बोली को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द कर दिया जाएगा ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

संलग्नक-अ

शपथ-पत्र 100/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम शपथपूर्वक घोषणा करते हैं कि मैंने/हमने स्पलिट- ए.सी. एवं वोल्टेज स्टेबलाइजर क्रय हेतु तकनीकी बोली बाबत निर्देश की पालना में जो घोषणा-पत्र/प्रमाण-पत्र/अन्य सूचना संलग्न किये गये हैं,वे सत्य एवं पूर्णतया सही है। हमारी फर्म को कभी भी राज्य/केन्द्र सरकार के किसी भी विभाग/उपक्रम द्वारा दण्ड स्वरूप ब्लेकलिस्ट नहीं किया गया है। हमारी फर्म को किसी भी न्यायालय द्वारा कभी दण्डित नहीं किया गया है तथा न ही हमारे विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया विचाराधीन/ लम्बित है। हमारी फर्म न्यूनतम विगत दो वर्षों से भी अधिक समय से दी गई बोली से संबंधित मद में व्यापार करती है। इनमें किसी भी तथ्य को छिपाया नहीं है और न ही कोई कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यदि ऐसा पाया जाता है तो कोई न्यायिक कार्यवाही किये बिना एवं अन्य कोई कार्यवाही किये बिना मेरी/हमारी बोली जो स्वीकृत की गई,उसे रद्द कर दी जावे एवं हमारे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये आयुर्वेद विभाग राजस्थान,अजमेर स्वतंत्र है ।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नोटेरी द्वारा प्रमाणित

स्थान-

दिनांक:

(आर.टी.पी.पी. अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अंतर्गत हस्ताक्षरित एनक्सर ए, बी सी एवं डी)

Annexure A : Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall –

- (a) not offer any bribe, reward of gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit the misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and process of the procurement process.
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process.
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same , directly or indirectly, to any party or its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any ; and
- (h) disclose any pervious transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest :-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest. A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited:
 - a. have controlling partners/shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them;
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Signature of Bidder

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualification
Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to for procurement of in response to their Notice Inviting Bids No..... Dated I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resource and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we/ have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our Directors and Officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the marking of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict to interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of Bidder
Name :
Designation :
Address :

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Joint/Deputy Secretary, Ayurved and Indian Medicine Department, Rajasthan, Jaipur.

The designation and address of the Second Appellate Authority is Secretary, Ayurved and Indian Medicine Department, Rajasthan, Jaipur.

Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (1) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (2) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.
- (3) **Appeal not to lie in certain cases**
No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
 - (a) **determination of need of procurement;**
 - (b) **provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;**
 - (c) **the decision of whether or not to enter into negotiations;**
 - (d) **cancellation of a procurement process;**
 - (e) **Applicability of the provisions of confidentiality.**
- (4) **Form of Appeal**
 - (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
 - (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
 - (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.
- (5) **Fee for filing appeal**
 - (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
 - (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's Cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.
- (6) **Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Signature of Bidder

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following bases:

- a. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price shall govern and the unit price shall be corrected;
- b. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
- c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- i. At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- ii. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- iii. In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and condition of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 50% of the value of Goods of the original contract. If the Supplier fails to do so, the procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. Dividing Quantities among more than one bidder at the time of award (in case of procurement of goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital natures, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates if the Bidder, whose Bid is accepted.

Signature of Bidder

क्रय किये जाने वाले उपकरणों की तकनीकी विशिष्टियां एवं मात्रा का विवरण
औषध परीक्षण प्रयोगशाला अजमेर हेतु

SN	Item name	Quantity	Description
1	2- Ton Split AC Specification With complete installation	3 Pcs	Type-2 Ton Split AC of famous brand, star rating- 3 or higher Cooling capacity nominal (k cal/hr)- 5500 Max. ambient temp 48 Degree cl. Electrical input-230V/50Hz Noise level- indoor unit- <42 db (low fan setting) Outdoor unit- <60db / Fan speed- 3 Steps. Compressor- High quality rotary type compressor Function Modes- Temperature Display / Auto / Cool /Dry with power saving mode. Air filtering unit- Dust /Anti bacteria filter / Washable plastic filters. Remote control- wireless with LCD display / Minimum 10 mtr. Distance / Full control on AC operation Refrigerant type- R-410A or other ozone friendly refrigerant as per current industry standard. Warranty- 1 year on whole AC unit and 5 Years on Compressor from date of Installation
2	1.5 Ton split Ac of Genuine brand	4 Pcs	Type 1.5 Ton split Ac of famous brand with 3 star or above Cooling capacity (kw/hr)->3500w/hr. Ambient Temp.- 45 deg Cl

			<p>Compressor- Rotary type/Noise level <40 (low fan setting), <45 (high fan setting) With Dust Filter, Bacteria Filter Power source- 230v / 50 Hz Remote control- wireless with LCD display / Minimum 10 mtr. Distance / full control on AC operation. Warranty- 1 year on whole AC unit and 5 Years on Compressor from date of Installation</p>
3	Voltage stabilizer For AC	7 Pcs	<p>Suitable for 2 and 1.5 ton AC Input voltage- 120-300V Output voltage- 200-240V High voltage cut off – 240V Efficiency- 95 % Frequency- 50 Hz. <u>TYPE-WALL MOUNT TYPE</u> – high & low voltage & thermal over load protection with voltage display.</p>

सामान्य निर्देश:-

1. उपरोक्त सभी आईटम जिनका संस्थापन किया जाना है, के सन्दर्भ में संस्थापन की लागत को शामिल करते हुये दरें प्रस्तुत की जाये।
2. ए.सी. आदि की संस्थापन की आंकलन हेतु संबंधित बोलीदाता किसी भी कार्य दिवस में संस्थापन स्थान का मौका अवलोकन कर सकते है।
3. उपरोक्त सभी आईटमस के सन्दर्भ में गारन्टी/वारन्टी के प्रावधान संबंधित कम्पनी के नियमानुसार लागू होंगे।

वित्तीय बोली प्रपत्र

(स्पलिट ,ए.सी. एवं वोल्टेज स्टेबलाइजर क्रय किये जाने हेतु)

- (1) संवेदक का नाम:—
- (2) पता:—
- (3) जी.एस.टी नंबर:—
- (4) उत्पादक फर्म का नाम:—

क्र.सं.	आइटम का नाम	मात्रा	Rate of per item	G.S.T	Total per item	कुल राशि
1.	2- Ton Split AC Specification With complete installation, commishning & for dtl ajmer (As per Appendix-I)	3 नग				
2.	1.5 Ton split Ac of Genuine brand, commishning & for dtl ajmer (As per Appendix-I)	4 नग				
3.	Voltage stabilizer For AC, commishning & for dtl ajmer (As per Appendix-I)	7 नग				

संवेदक के हस्ताक्षर